

In the court of जे.एम.एफ.सी. गोहद मिण्ड

1. लखन ४०८३ मिह नो
2. पुरन ४०८३ मिह नो
3. रघुमान ४०८३ मिह नो
4. फूलन ४०८३ मिह नो
5. रावण ४०८३ मिह नो
6. दण्ड ४०८३ मिह नो

द्विपात्रादि
२५३२५॥२१६
कल्याण
जन

राजेश

पंकज शर्मा
न्यायिक शिक्षण प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)

9 The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of the property in respect of which the offence has been committed

//निर्णय//

(आज दिनांक 17-8-17 को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
2. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे/उन्हें उक्त धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत क्रीडा अधिनियम के अंतर्गत रुपये 100-150 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।
3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
4. प्रकरण में जप्तशुदा रुपये 825/- रुपये राजसात किये जाते हैं अपील अवधि पश्चात विधिवत कोषालय में जमा हो।

स्थान-मिण्ड

दिनांक- 17-8-17

निर्णय आज दिनांकित एवं

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

17/08/17

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.)

17/08/17

पंकज शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-मिण्ड (म.प्र.)